

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 374] No. 374] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 27, 2016 / ज्येष्ठ 6, 1938 NEW DELHI, FRIDAY, MAY 27, 2016/JYAISTHA 6, 1938

शहरी विकास मंत्रालय (मुद्रण निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2016

सा.का.नि. 556 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार मुद्रणालय प्रबंधक (फोटोलिथो/वर्क्स प्रबंधक (फोटोलिथो), प्रौद्योगिकीविद, (प्रक्रिया) तथा प्रौद्योगिकीविद (मुद्रण तथा जिल्दसाजी) भर्ती नियम, 1983, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, मुद्रण निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय, में समूह 'ख' के कुछ पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार मुद्रणालय तथा शाखाएं, (प्रक्रिया) तथा प्रौद्योगिकीविद (मुद्रण तथा जिल्दसाजी) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4 निरर्हता : वह व्यक्ति-
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

2666 GI/2016 (1)

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- **6.** व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए विनिश्चयों आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| (1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7 | पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और | चयन अथवा | सीधे भर्ती किए | सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक |
|---|------------------|---------------|----------------|-------------------|------------|-----------------|---|
| (1) (2) (3) (4) (5) लिए आयु सीमा (प्रक्रिया) श कार्यमार के आप्रामर के आप्रमार के लिए भिष्मा के लिए अप्रमार के आप्रमार के लिए भिष्मा के लिए अप्रमार के आप्रमार के लिए अप्रमार के आप्रमार के लिए भिष्मा के लिए आप्रमार के आप्रमार के लिए अप्रमार के लियं के आप्रमार के लियं के | 74 4/1 '11'1 | 74 (1641 | 9:119/(*) | | | | |
| (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) प्रोचोंगिकविद (2*(2018) (व) साधारण केन्द्रीय सेवल-बेंड - 2 वागू नहीं अठाव पर परिवर्तन किया जा सकता है। * कार्यमार के आवार पर परिवर्तन किया जा सकता है। मंद्री के स्वाप्त पर परिवर्तन किया जा सकता है। मंद्री के सम्मान केन्द्रीय के अनुमान केन्द्रीय सेवल-बेंड - 2 वागू नहीं अठाव पर परिवर्तन किया जा सकता है। मंद्री के सम्मान केन्द्रीय के अनुमान केन्द्रीय सेवल-बेंड - 2 वागू नहीं अठाव पर पर परिवर्तन किया जा सकता है। मंद्री के अनुमान केन्द्रीय के अनुमान किया वर्ष तक छून के अनुमान किया करने के अनुमान किया करने के अनुमान किया करने के अठाव करने के अठ | | | | | 31.1.1.1.1 | | ont of 4 ording |
| (1) (2) (3) (4) (6) (6) (7) प्रोचोंगिकविद (2*(2018) साधारण केन्द्रीय सेतन.चंड — 2 तामू नहीं अठा प्राच्या प्रतिक्रियों भैरा अनुसार्विवीय परितर्न किया जा सकता है। * कार्यमार के आवार पर परितर्न किया जा सकता है। सकता है। * कार्यमार के आवार पर परितर्न किया जा सकता है। सकता है। * कार्यमार के ताया पर पर परितर्न किया जा सकता है। सकता है। * कार्यमार के ताया पर पर परितर्न किया जा सकता है। * कार्यमार के ताया पर पर परितर्न किया जा सकता है। * कार्यमार के ताया पर पर परितर्न किया जा सकता है। * कार्यमार के ताया पर पर पर इनिडेजाइन सामर्थवर में सकती है। * कार्यमार के ताया पर पर इनिडेजाइन सामर्थवर में सकती है। * कार्यमार के ताया पर के ताया पर के ताया करते के ताया पर के ताया के ताया पर के ता | | | | | | | |
| श्राव के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। * कार्यभार के अधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। * कार्यभार के अधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। * कार्यभार के अधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। * कार्यभार के कार्यभार के कार्य देवने का वार्य आप कार्यभार के कार्य करने का व्यवहारिक अनुमव जिसमें अनुसरण में सहकारी कर्मवारियों का पांच वर्य तक छूट दी जा। सकती है। * कार्यभार के कार्य रेवन का वार्य होरिक अनुमव किसमें अधारत करने के लिए निणायक तारीख भारत में अधार्यभार में अधार्यभार संस्थान सरकारी पीतिवर्गीक प्रावर्थियों के वार्य करने के लिए निणायक करने के लिए निया को गांच वर्य कार्य करने का प्रवर्धी के कार्य करने का प्रवर्धी का वार्य होरिक अनुमव कार्य के लिए निणायक करने के लिए निया को गांच कार्य करने का प्रवर्धी कार्य कार्य के लिया कार्य को गांच कार्य कार्य का कार्य के कार्य | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (7) |
| सेवा, समृह 'ख' राजपंजित ते'- अनुसविवीय प्रिक्तित तें तें त्या प्रतिवर्तन किया जा सकता है। है सकता है। है है है है है है है है है | प्रौद्योगिकीविद् | | | वेतन-बैंड – 2 | | | |
| * कार्यमार के अवनुत्ववियोध परिवर्त के त्या परिवर्त किया जा सकता है। यिवर्तिवा तिवर्ष संस्कृत के तिवर्ण के | (प्रक्रिया) | , | सेवा, समूह 'ख' | 9,300—34,800रू | C. | | (i)किसी मान्यताप्राप्त |
| अन्नपुरुषियीय एवं परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण : | | * कार्यभार के | राजपत्रित गैर– | + ग्रेड वेतन ४६०० | | (केन्द्रीय | |
| जा सकता है। या आरोशों के अनुसरण में सरकारी सरकारी कर्मवारियों को पांच वर्ष तक व्यावहारिक अनुसर्व किया क्षित अनुसर्व के पांच वर्ष तक व्यावहारिक अनुसर्व वा सकती है। टिप्पण | | | अननुसचिवीय | रू0 | | | |
| अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों को यांच वर्ष तक क्रिक्ट के विषय कर्मचारियों को यांच वर्ष तक क्रिक्ट की वाचावारिक अनुसब मानिक के वर्ष दूसमें से एक वर्ष का याववारिक अनुसब का करती है। है। हिष्ण : | | परिवर्तन किया | | | | | (ii) इमेजसेटर का कार्य देखने का दो |
| सरकारी कर्मचारियाँ को पांच वर्ष तक पूट दी जा सकती है।) टिप्पण :- आयु सीमा अक्यारित करने के लिए निर्णायक तारीख मारत में अम्पर्थियाँ से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्णायक तारीख मारत में अम्पर्थियाँ से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्णायक तारीख मारत में अम्पर्थियाँ से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्माय की गई अतिम तारीख डोती। (ति के तह अतिम तारीख जामा अस्माम, मेंधालय, अरूणावल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालेण्ड, त्रिपुरा, सिकेम, जम्म, करमीर राज्य के लह्य खंड, हिमाचल प्रदेश के लाही अरिद्यायलाशासी निकाय मार्यात्मायात संस्थान में होमा व्यव्यक्तियाँ से प्लेट तैयार करने और करने का एक वर्ष का व्यवहारिक अनुमय। विकाय मार्यात्मायलाशासी निकाय मार्याव्यव्यक्तियाँ से स्थान संस्थान से से सीपीती मशीनों के प्रचालन, रंगों को असम, मेधालय, अरूणावल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालेण्ड, त्रिपुरा, सिकेम, जम्म, करमीर राज्य के लह्य स्थायलाशासी निकाय/मार्यात्मायाल संस्थान (स्रकारी) पांलीटैकनीक/आईटीआई/मान्यताप्राप्त संस्थान (सरकारी) पांलीटिकनीक/आईटीआई/मान्यताप्राप्त संस्थान (सरकारी) विकार संस्थान रिकार करिया परकार विदेकानुकार, आईता आंप्राप्त अनुक्य के उपकार संस्थान विदेकानुकार, है। | | जा सकता है। | | | | | |
| कर्मचारियों को पांच वर्ष तक इट दी जा सकती है। तियाण : | | | | | | | कंप्यूटर पर इनडिजाइन साफ्टवेयर में |
| पांच वर्ष तक छूट दी जा सकती है। टिप्पण | | | | | | | कार्य करने का व्यावहारिक अनुभव |
| ख्ट दी जा सकती हैं। दिष्ण :- शिष्ण :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख मारत में अन्यविद्यां से एनेटं तैयार करने और निर्मात तारीख होगी। (न कि वह अतिम तारीख होगी। (न कि वह अतिम। स्वायतायारी हिल्ला में स्वायतायारारी होगी (न कि वह अतिम तारीख होगी। (न कि वह अतिम तारीख होगी। (न कि वह आत्म। स्वयतायारारारी होगी। (न कि वह अतिम। स्वयतायारारारी होगी। (न किया) विभाग मार्यातायारार होगी। (न किया) विभाग मार्यातायारार होगी। (न किया) विभाग मार्यातायारार होगी। (न किया) विभाग मार्यातायारारारारारारारारारारारारारारारारारा | | | | | | | शामिल है इसमें से एक वर्ष का |
| सकती है। टिप्पण आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख मारत में अम्बर्धियाँ से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्माय का गई अतिम तारीख होगी। (त कि बह अतिम तारीख मों।। (त कि बह अतिम तारीख मां।। (त कि करो साथ आधुनिक रंग सुधार तकनीकों में एक वर्ष का व्यावहारिक अनुमव। त्यार अप्योगों के दिशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, किताओं में छूट प्रदान की जा सकती है। | | | | | | | |
| िट्मण | | | | | | | |
| आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आयंदरन प्राप्त करने के लिए निर्णाय करने के लिए निर्णाय करने के लिए निर्णाय करने के लिए निर्णाय करने के लिए नियत की गई अतिम तारीख होगी। (न कि वह अतिम तारीख जा असम, मेघालय, अरूणायल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, नियुप्प, सिक्कम, जम्म् कश्मीर राज्य के लद्वाख खंड, हिमायल प्रदेश, मिजोरम, सीक्कम, जम्म् कश्मीर राज्य के लद्वाख खंड, हिमायल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तारीख जो असम, मेघालय, अरूणायल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, नियुप्प, सिक्कम, जम्म् कश्मीर राज्य के लद्वाख खंड, हिमायल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तारीख जोगा से स्वीति जिले तारीख जोगा से प्रवेश के लाहौल और स्वीति जिले तारीख जागानी | | | | | | | ानकाय / मान्यताप्राप्त अनुसंघान संस्थान / सरकारी |
| अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अर्माय में होना वाहिए, तथा (iii) किसी सरकारी तारीख भारत में अर्माय में अर्माय में अर्माय में होना करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंच्छ, त्रिपुरा, सिविकम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमावल प्रदेश के लाहील और स्पीरि जिले तहीं और स्पीरि जिले तहीं और स्पीरि जिले तहीं को जा सकती हैं। | | | | | | _ | पॉलीटैक्नीक /आईटीआई /मान्यतापात |
| के लिए निर्णायक तारीख भारत में अर्म्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न के वह अतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालेण्ड, त्रिपुरा, सिकिकम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लहाहील और स्पीति जिले तथा चिक्रीम सं क्या कार्य के विषेकानुसार, लिख के पांगी किया अर्हाता में एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। वाक्रीम राज्य अर्हणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालेण्ड, त्रिपुरा, सिकिकम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लह्दाल अर्हे के लहित और स्पीति जिले तथा या चम्बा जिले का पांगी | | | | | | अवधारित करने | |
| निर्णायक तारीख भारत में अभ्योर्थेयों से अभ्येश्वेयों से अभ्येश करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (त कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणायल प्रदेश, मेजोरम, मोणपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिकिकम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लद्दाख लेंक से लाहील और एमीति जिले का पांगी के सेवा आयोग के विवेकानुसार, लिखित में रिकार्ड किए गए कारणों से, अर्हताओं में छूट प्रदान की जा सकती है। | | | | | | | |
| ताराख भारत म अस्थर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणायल प्रदेश, मिजोरम, मिणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले का पांगी जिले का पांगी के विवेकानुसार, लिखित में रिकार्ड किए गर कारणों से, अर्हताओं में छूट प्रदान की जा सकती है। | | | | | | निर्णायक | |
| अस्थायया से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणायल प्रदेश, मिजोरम, मिणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिकिकम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमायल प्रदेश के लाहौल और सर्थान के साथ आधुनिक रंग सुवेश के लद्दाख खंड, हिमायल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा या वानिक के तथा वे तथा के तथा वे तथा के तथा वे तथा के तथा के तथा वे तथा के तथा वे तथा के तथा के तथा वे तथा वे तथा के तथा वे तथा के तथा वे तथा के तथा वे तथा व | | | | | | | विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र के |
| कराने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा कार्य को गति से करने का एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। वांक्रनीय: जिल्ला में एक वर्ष को व्यावहारिक अनुभव। वांक्रनीय प्रशासन हिमाग में किसी सरकारी /सार्वजिनक क्षेत्र के उपकम/स्वायत्वशासी निकाय/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान/सरकारी पॉलीटैक्नीक/आईटीआई/मान्यताप्राप्त वांक्रायिक प्रशिक्षण संस्थान विभाग में कल्स स्कैनर के साथ आधुनिक रंग सुधार तकनीकों में एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। टिप्पण 1:— अन्यथा पूर्ण रूप से अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, तिखत में रिकार्ड किए गए कारणों से, अर्हताओं में छूट प्रदान की जा सकती है। | | | | | | | |
| नियत की गईं अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो आसम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणीपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्वाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लद्वाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लह्वाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लह्वा अर्थेस के लह्वाख खंड, हिमाचल प्रदेश के आईता प्राप्त अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, लिखित में रिकार्ड किए गए कारणों से, अर्हताओं में छूट प्रदान की जा सकती है। | | | | | | | |
| अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो गति से करने का एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। वांछनीय : किसी सरकारी /सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम /स्वायत्त्रशासी निकाय /मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान/सरकारी गांति है विकम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहील और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी है। | | | | | | | |
| होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालेण्ड, त्रिपुरा, सिकिम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी | | | | | | | |
| वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्वाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी है। | | | | | | | |
| तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्कम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी | | | | | | | |
| असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्कम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी | | | | | | | अनुभव । |
| अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिकिकम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी | | | | | | | |
| प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्कम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी | | | | | | | |
| माणपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्म् कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी | | | | | | प्रदेश, मिजोरम, | |
| नागालण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी | | | | | | | |
| त्रिपुरा, सिविकम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी | | | | | | | |
| ासिक्म, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी | | | | | | | व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान विभाग में |
| कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की दशा में संघ लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी | | | | | | | कलर स्कैनर के साथ आधुनिक रंग |
| क लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की दशा में संघ लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी | | | | | | | सुधार तकनीकों में एक वर्ष का |
| प्रदेश के अर्हता प्राप्त अभ्यथियों की दशा में संघ लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी | | | | | | | व्यावहारिक अनुभव । |
| लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी | | | | | | | टिप्पण 1 :- अन्यथा पूर्ण रूप से |
| स्पीति जिले स्पीति जिले तथा चम्बा अर्हताओं में छूट प्रदान की जा सकती जिले का पांगी | | | | | | | |
| तथा चम्बा अर्हताओं में छूट प्रदान की जा सकती जिले का पांगी है। | | | | | | | |
| जिले का पांगी | | | | | | | |
| | | | | | | | । अहताआ म छूट प्रदान का जा सकता ==================================== |
| | | | | | | उपखण्ड, | ह। |
| अण्डमान एवं | | | | | | अण्डमान एवं | |

| | | अभ्यर्थियों के | टिप्पण 2 :- संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यार्थियों की दशा में लिखित में रिकार्ड किए गए कारणों से, अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हतायें) में शिथिलता दी जा सकती है (हैं) यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध |
|--|--|----------------|--|
| | | | अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। |

| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अईताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है | भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्निति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा। |
|---|-------------------------------------|---|---|--|---|
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| लागू नहीं | सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष । | सीधी भर्ती द्वारा। नोटः पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य किसी परिस्थिति के कारण एक वर्ष या अधिक के लिए चले जाने के कारण हुई रिक्ति को सदृश पदधारी तथा कॉलम ७ में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिणिक अर्हताएं रखने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसकें अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काउर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। | तागू नहीं | पदोन्नति के लिए समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति संयुक्त सचिव, प्रभारी, मुद्रण, लेखन सामग्री तथा प्रकाशन प्रभाग ——अध्यक्ष (2) निदेशक मुद्रण ——सदस्य (3) संयुक्त निदेशक(प्रशासन), मुद्रण निदेशालय ——सदस्य | सिधी भर्ती के समय संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है । |

| | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और | चयन अथवा | सीधे भर्ती किए | सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक |
|------------------|---------------|------------------|----------------|-----------|----------------|---|
| पद का नाम | | | ग्रेड वेतन या | अचयन पद | जाने वाले | और अन्य अर्हताएं |
| | | | वेतनमान | | व्यक्तियों के | |
| | | | | | लिए आयु सीमा | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| प्रौद्योगिकीविद् | 2* (2016) | साधारण केन्द्रीय | वेतन—बैंड — 2 | लागू नहीं | 30 वर्ष से | अनिवार्य : |
| (मुद्रण तथा | , , | सेवा, समूह 'ख' | 9,300─34,800रू | | अधिक नहीं। | (i)किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / |
| जिल्दसाजी) | * कार्यभार के | राजपत्रित गैर– | + ग्रेड वेतन | | (केन्द्रीय | संस्थान से मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिग्री |
| | आधार पर | अननुसचिवीय | 4600 रू0 | | सरकार द्वारा | या समकक्ष । |
| | परिवर्तन किया | | | | जारी अनुदेशों | (ii) दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव |
| | जा सकता है। | | | | या आदेशों के | जिसमें एक वर्ष का अनुभव एकल / बहु |
| | | | | | अनुसरण में | रंगी ऑफसेट मुद्रण मशीनों के |

| - | | | | |
|---|--|--|-----------------------|--|
| | | | सरकारी | पर्यवेक्षण का होना चाहिए जिसमें |
| | | | कर्मचारियों को | इकाईयों को सुधारना भी शामिल है या |
| | | | पांच वर्ष तक | किसी सरकारी विभाग/सार्वजनिक |
| | | | _ | |
| | | | | , |
| | | | संकती है।) | निकाय / मान्यताप्राप्त अनुसंधान |
| | | | टिप्पण :- | संस्थान / सरकारी |
| | | | आयु सीमा | पॉलीटैक्नीक / आईटीआई / मान्यताप्राप्त |
| | | | अवधारित करने | व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान में |
| | | | के लिए | मुद्रण प्रौद्योगिकी में अध्यापन का दो |
| | | | निर्णायक | वर्ष का अनुभव, तथा |
| | | | तारीख भारत में | |
| | | | अभ्यर्थियों से | (::) |
| | | | ` | (iii) किसी सरकारी विभाग या |
| | | | आवेदन प्राप्त | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या |
| | | | करने के लिए | स्वायत्तशासी निकाय या किसी |
| | | | नियत की गई | मान्यताप्राप्त संस्थान/ सरकारी |
| | | | अंतिम तारीख | पॉलीटैक्नीक / आईटीआई / मान्यताप्राप्त |
| | | | होगी। (न कि | व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान में |
| | | | वह [`] अंतिम | विभिन्न कोलाइड या सीटीपी मशीनों |
| | | | तारीख जो | पर प्लेटें तैयार करने का एक वर्ष का |
| | | | असम, मेघालय, | व्यावहारिक अनुभव । |
| | | | | व्यावहारिक अनुभव । |
| | | | अरूणाचल | |
| | | | प्रदेश, मिजोरम, | वांछनीय : |
| | | | मणिपुर, | यांत्रिक समस्याओं को देखने का एक |
| | | | नागालैण्ड, | वर्ष का अनुभव तथा कार्य से संबंधित |
| | | | त्रिपुरा, | निवारक रखरखाव प्रणाली की |
| | | | सिक्किम, जम्मू | जानकारी । |
| | | | कश्मीर राज्य | टिप्पण 1: — अन्यथा पूर्ण रूप से |
| | | | के लद्दाख | अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की दशा में संघ |
| | | | खंड, हिमाचल | |
| | | | | लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, |
| | | | · . | लिखित में रिकार्ड किए गए कारणों से, |
| | | | लाहौल और | अर्हताओं में छूट प्रदान की जा सकती |
| | | | स्पीति जिले | है। |
| | | | तथा चम्बा | टिप्पण 2 :- संघ लोक सेवा आयोग |
| | | | जिले का पांगी | के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या |
| | | | उपखण्ड, | अनुसूचित जन—जातियों के अभ्यार्थियों |
| | | | अण्डमानं एवं | की दशा में लिखित में रिकार्ड किए |
| | | | निकोबार द्वीप | गए कारणों से, अनुभव संबंधी अर्हता |
| | | | या लक्ष्यद्वीप के | ार् पगरणा त, अनुगप त्तववा अहता |
| | | | oc \. | (अर्हतायें) में शिथिलता दी जा |
| | | | | सकती है (हैं) यदि चयन के किसी भी |
| | | | लिए विहित की | स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की |
| | | | गईं हैं)। | यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित |
| | | | | रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित |
| | | | | अनुभव रखने वाले उन समुदायों के |
| | | | | अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध |
| | | | | होने की संभावना नहीं है। |
| | | | | हान का समावना नहां ह । |

| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अईताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं | | भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्निति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। | समिति है, तो उसकी | |
|---|-------------------------------|---|---|--|-------------------|
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| लागू नहीं | सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष । | | लागू नहीं | पदोन्नति के लिए समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (1) संयुक्त सचिव, प्रभारी, मुद्रण, लेखन सामग्री तथा प्रकाशन प्रभाग, शहरी विकास मंत्रालय —अध्यक्ष (2) निदेशक मुद्रण —सदस्य | सीधी भर्ती के समय |

| | (3) संयुक्त | अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति के | |
|--|-------------------|--|--|
| | निदेशक (प्रशासन), | आधार पर भरा जाएगा। | |
| | मुद्रण निदेशालय | | |
| | सदस्य | (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसकें | |
| | | अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या | |
| | | किसी अन्य संगठन/विभाग में इस | |
| | | नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी | |
| | | अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की | |
| | | अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से | |
| | | अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर | |
| | | नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु | |
| | | सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम | |
| | | तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं | |
| | | होनी चाहिए। | |
| | | | |
| | —–सदस्य | अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं | |

[एफ. सं. ए-11012 / 2 / 2013-ए II] एन के जोशी, उप निदेशक

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DIRECTORATE OF PRINTING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2016

- G.S.R. 556(E).—In exercises of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Government of India Presses Manager (Photolitho)/ Works Manager (Photolitho), Technologist (Process) and Technologist (Printing and Binding) Recruitment Rules 1983 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby make the following rules regulating the method of Recruitment to certain Group 'B' posts in the Directorate of Printing, Ministry of Urban Development, namely:-
- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Government of India Presses and Branches, Technologists (Process) and Technologist (Printing and Binding) Group 'B' posts Recruitment Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale. The number of said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- **4. Disqualification. -** No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, exservicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the Post | Number of Posts | Classification | Scale of Pay | Whether Selection post or non- selection post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualification required for direct recruits |
|------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Technologist (Process) | 2* 2015 *subject to variation dependent on workload. | General Central Service Group 'B' Gazetted, Non- Ministerial | PB-2: Rs. 9,300-34,800 plus grade pay Rs. 4,600/- | Not applicable | Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servant up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicober Islands | Essential: (i). Degree in Printing Technology from a recognized University/Institute, (ii) Two years practical experience in handling image setters including practical experience of working in computer with Indesign software out of which one year experience shall be in teaching Printing Technology in any Govt./PSU/Autonomous body/recognized research institute/Govt. Polytechnics/ITI/recognized vocational training institute, and (iii) One year practical experience of preparing plates with different methods and of operating CTP machines, colour separation and work flow in a Govt. Department/Autonomous/Statutory Body or in any recognized institution. Desirable: One year practical experience in modern colour correction techniques with colour scanners in any Govt. Department/PSU/Autonomous Body/recognized research institute/Govt. Polytechnic/ITI/recognized vocational training Institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. |

| | or Lakshadweep). | belonging to the Scheduled Castes or the Schedule Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the |
|--|---------------------|--|
| | | vacancies reserved for them. |

| Whether age and educational and qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of Probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment |
|---|--------------------------------|--|--|---|--|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not Applicable | 2 years for direct recruits. | By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government holding analogous post and possessing educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits, under column 7. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.) | Not applicable | Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation):- (i) Joint Secretary in charge of Printing, Stationery and Publication Division, Ministry of Urban Development - Chairman; (ii) Director (Printing) - Member, (iii) Joint Director (Administration), Directorate of Printing - Member | Consultation with the Union Public Service necessary while making direct recruitment. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------|---|--|---|-----------------|---|--|
| Technologist (Printing and Binding) | 2 * 2015 *subject to variation dependent on workload. | General Central Service Group 'B' Gazetted, Non- Ministerial | PB-2: Rs. 9,300-34,800 plus grade pay Rs. 4,600/- | Not applicable. | Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servant up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicober Islands or Lakshadweep). | Essential: (i) Degree in Printing Technology from a recognized University/Institute, (ii) Two years' practical experience including one year as a supervisor in handling single/multicolour offset printing machines including perfecting units or two years' teaching experience in Printing Technology in a Govt. Department or PSU/Autonomous body/recognized research institute/ Govt. Polytechnics/ITI/recognized vocational training institute and (iii) One year practical experience of preparing plates with different colloids or of operating CTP machines in a Govt. Department or PSU or Autonomous Body or in a recognized research institute/Govt. Polytechnics/ITI/recognized vocational training institutes. Desirable: (i) One year experience of attending to mechanical problems and acquaintance with the preventive maintenance system pertaining to the job. (ii) One year experience of handling modern binding equipments. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification so regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Cas |

| | | | number of of these possessing experience a be available vacancies them. | communi the requi are not likely to fill up | ities isite y to the |
|--|--|--|---|--|-------------------------------|
| | | | 1 | | |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------------|----------------------------------|--|----------------|---|---|
| 8 Not Applicable | 9 Two years for direct recruits. | By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government holding analogous post and possessing educational qualification and experience as prescribed for direct recruits under column 7. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of | Not applicable | Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation):- (i) Joint Secretary in charge of Printing, Stationery and Publication Division, Ministry of Urban Development - Chairman; (ii) Director (Printing) - Member, (iii) Joint Director (Administration), Directorate of Printing - Member | Consultation with the Union Public Service necessary while making direct recruitment. |

[F. No. A-11012/02/2013-A.II]

N. K. JOSHI, Dy. Director